न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>सत्र परीक्षण संख्या-990/2022</u>

उ0प्र0 राज्य बनाम कासिम।

<u>आदेश</u>

<u>21-04-2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त कासिम न्यायालय में उपस्थित आया।

अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि, अभियुक्त कासिम के विरूद्ध धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण का अनुरोध किया।

पत्रावली दिनांक 10-05-2022 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हों।

(डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.N0-UP 6535

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>सत्र परीक्षण संख्या-990/2022</u>

उ0प्र0 राज्य बनाम कासिम।

<u>आरोप</u>

मैं, डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद आप अभियुक्त-**कासिम** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

यह कि, दिनांक 27–01–2022 को समय 19.10 बजे, स्थान कासिम मीट शॉप, मौहल्ला रहमतनगर, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद में पुलिस द्वारा आपको गोवंशीय पशु का वध करके उसका मांस बेचते हुए गिरफ्तार किया गया तथा मौके से आपके कब्जे से गोवंशीय पशु का लगभग 55 किलोग्राम मांस व मांस काटने के उपकरण दो गंडासे, एक इलैक्ट्रानिक कांटा व एक लकड़ी का गुटका बरामद हुआ। आपका उक्त कृत्य गोवध निवारण अधिनियम की धारा-3/5/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूँ कि, इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप में आपका विचारण किया जाएगा।

(डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय)

दिनांकः 21-04-2022

सत्र न्यायाधीश,

मुरादाबाद।

I.D.N0-UP 6535

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

(डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय)

दिनांकः 21-04-2022

सत्र न्यायाधीश,

मुरादाबाद।

I.D.N0-UP 6535